



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ ( राज. )

भागूबाई बनाम कुशालाबाई

किस्म मुकदमा पाठपत्र नं. 152 सन 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
19/8/25	<p>पाठपत्र (असल दस्तावेज लोयाये) जाने बाबत पेश हुआ। प्रकरण बाद जांच सुरिस्ता दर्ज रजि० किया गया। पत्रावली वास्ते मूल वाद प्रसं. 67/2022 के साथ अवलोकनार्थ एवं उचित सफ़ाई दिनांक 22/08/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">             19/8/25         </p>	
22/08/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आम्र० प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद सं 67/2020 भागूबाई बनाम कुशालाबाई की पत्रावली लम्ब की गई। आम्र० प्रार्थी की बहल प्राप्त सुनी गई। प्रार्थी/वाडी द्वारा पेश मूल वाद सं 67/20 दिनांक 14/02/2025 को इस न्यायलय द्वारा निर्णित हो चुका है। प्रकरण को निर्णित हुए 6 months से आधीक समय ही चुका है (189 days), आम्र० प्रार्थी के अनुसार अभी तक प्रकरण में कोई भी Appeal दायर नहीं हुई है। इस लम्ब में इस</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	अदालत हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>न्यायालय में श्री अपीलकर्ता कोर्ट से दस्ता प्राप्त नहीं है जिससे जाहिर होता है कि मूलका में अभी तक, अपील दायर करने का समय 60 days गुजरने पर भी, अपील दायर नहीं हुई है।</p> <p>2. सीपीसी के क्रमिक 13 नियम 9 के आबधानों का अवलोकन निम्नानुसार है :- <u>Rule 9 - Return of admitted documents</u> :- (1) any person whether a party to the suit or not, desirous of receiving back any document produced by him in the suit and placed on the record shall, unless the document is impounded under Rule 18, be entitled to receive back the same,</p> <p>(b) where the suit is one in which an appeal is allowed, when the court is satisfied that the time for preferring an appeal has elapsed and that no appeal has been preferred or, if an appeal has been preferred, when the appeal has been disposed of.</p> <p>3. प्राचीन द्वारा जमा गया document i.e. Sale deed dated 27/11/2007 मूलका में admitted है लेकिन प्राचीन द्वारा जमा Sale deed of 27/11/2007 की इस न्यायालय द्वारा certified copy प्रस्तुत के साथ समझ की है (The person seeking the return of document may need to provide a certified copy of the said document before it is returned)</p> <p>4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राचीन का प्रार्थना ज्ञात स्तवीय लोरेने लोकार विना जाता है।</p>	



नमः  
अहकाम  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

2

प्रार्थिया द्वारा पेश व साक्ष्य अहित Sale deed  
dt 27/11/2007 की मूल प्रति प्रार्थिया को return  
दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थिया  
द्वारा पेश certified copy की मूलवाद में शामिल  
किया जावे। OBR9 cpc के sub-rule (2) के अनुसार  
प्रार्थिया से मूल इस्तावेज प्राप्त करने की भी receipt  
ली जावे। प्रापक/प्रकरणा पैसलशुगा होकर  
नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सपानेई



*[Handwritten signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
पिठावा, जिला झालावाड़ (राज०)